कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-50/2016-17/

दिनांक: /01/2017

सेवा में,

जिला पंचायतराज अधिकारी,

अल्मोड़ा

विषय : जिला पंचायतराज अधिकारी अल्मोड़ा का वर्ष 09/2015 से 09/2016 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के **भाग-4 (ब)-1 में शून्य प्रस्तर भाग-4 (ब)-2 में 04 प्रस्तर तथा STAN के शून्य प्रस्तर** हैं इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है भाग-4 (ब)-2 की सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी (**निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड**) के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन का प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 50/2016-17/ **दिनांक : /01/2017**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 राजपुर रोड़ निकट साई इंस्टीट्यूट, देहरादून।

2- निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2016-17 के लिये जिला पंचायत राज अधिकारी, अल्मोड़ा पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत पंचायतराज अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

(i) श्री जितेन्द्र कुमार - जिला पंचायत राज अधिकारी

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम

(i) श्री अशोक कुमार, व. ले.प.अ.
(ii) श्री एल,एस,लिगंवाल स.ले.प.अ.
(iii) श्री नित्यानन्द सिहं स.ले.प.अ.
(iv) श्री मनोहरसिहं लेखापरीक्षक

(स) संप्रेक्षा तिथि 06.10.2016 से 20.10.2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि: 09/2015 से 09/2016

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **जिला पंचायत राज अधिकारी, अल्मोड़ा**

(अ) उपरोक्त यदि जिला पंचायत राज अधिकारी है तो क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों की संख्या:-

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः-

भौगोलिक क्षेत्र : -

जनसंख्या :

2- निर्वाचित सदस्यों की संख्या :

3- (अ) पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः

4- (ब) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या:- बैठक :

5- कर्मचारियों की संख्या : -152

6- पंचायतराज की सम्पत्तियां : -

7- पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट : -

8- योजनाओं की संख्या

9- (अ) सामाजिक संरक्षा : -
(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -
(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें: -
(द) लाभार्थियों की संख्या:

10- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि :

11- वर्ष के दौरान कुल व्यय :
(अ) सामान्यः -
(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12- क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया- नहीं

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय **जिला पंचायत राज अधिकारी, अल्मोड़ा** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 09/2015 से 09/2016 तक की सम्प्रेक्षा श्री अशोक कुमार.,व.ले.प.अ श्री एल,एस,लिगंवाल, स.ले.प.अ. श्री नित्यानन्द सिहं स.ले.प.अ.एवं श्री मनोहरसिहं लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 06.10.2016 से 20.10.2016 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर:-

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर भाग-2 (अ)**	**प्रस्तर भाग-2 (ब)**	**STAN**
प्रतिवेदन संख्या वर्ष		**भाग**	
		प्रस्तरों की संख्या	

(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर -

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची- शून्य

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख - शून्य

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 1:- ` 29.10 करोड़ के उपभोग प्रमाण पत्रों का प्रेषित न किया जाना।

शासन द्वारा प्रत्येक जनपद की क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में कार्य कराने हेतु धनराशि संक्रमित की जाती है।

इकाई के (माह 09/2015 से 09/2016 के मध्य) लेखा अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि शासन से उक्त अवधि में विभिन्न क्षेत्र पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों हेतु जिला पंचायतराज अधिकारी के माध्यम से निम्न विवरणानुसार धनराशि का संक्रमण इस आशय के साथ किया गया था कि धनराशि का उपभोग के पश्चात निर्धारित समयवधि में धनराशि के उपभोग सम्बन्धी प्रमाण पत्र संबन्धित क्षेत्र पंचायतों/ग्राम पंचायतों से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी जिला पंचायतराज अधिकारी की होगी:-

(1) क्षेत्र पंचायतों हेतु अवमुक्त धनराशि(` में)

क्र.स.	**क्षेत्र पंचायत का नाम**	**क्षेत्र पंचायत विकास निधि**		**राज्य वित्त आयोग**	
		2015-16	**प्रथम किस्त(2016-17**	**द्तीय किस्त 2015-16**	**प्रथम किस्त (2016-17**
1	भैसियाछाना	723684	252631	971000	-
2	धौलादेवी	723685	252632	1899000	-
3	हवालाबाग	723684	252632	2015000	-
4	लमगड़ा	723684	252632	1669000	-
5	ताकुला	723684	252631	1374000	-
6	भिकिया सैण	723684	252631	1263000	-
7	चौखुटिया	723684	252631	1491000	-
8	द्वाराहाट	723685	252632	1827000	-
9	सल्ट	723684	252632	1845000	-
10	स्याल्दे	723684	252632	1534000	-
11	ताडीखेत	723684	252631	1908000	-
योग		**7960526**	**2778947**	**17796000**	

(2) ग्राम पंचायतों हेतु अवमुक्त धनराशि (` में)

	क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	14वां वित्त आयोग		राज्य वित्त आयोग	
			द्वित्तीय किस्त (2015-16)	प्रथम किस्त(2016-17)	द्वित्तीय किस्त (2015-16)	प्रथम किस्त (2016-17)
1	भैसियाछाना	53	42.70	59.09	19.45	-
2	धौलादेवी	110	97.91	135.55	44.46	-
3	हवालाबाग	127	109.76	151.92	49.94	-
4	लमगड़ा	103	85.45	118.48	38.90	-
5	ताकुला	89	70.48	97.59	32.04	-
6	भिकिया सैण	101	62.85	87.23	28.73	-
7	चौखुटिया	101	76.57	106.04	34.90	-
8	द्वाराहाट	122	97.61	135.07	44.44	-
9	सल्ट	138	99.64	135.93	45.40	-
10	स्याल्दे	94	75.85	104.98	34.48	-
11	ताडीखेत	130	105.21	145.70	47.84	-
योग		**1168**	**924.03**	**1279.58**	**420.58**	**-**

आगे लेखा अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि:-

(i) क्षेत्र पंचायत निधि से संबन्धित वित्तीय वर्ष 2015-16 के उपभोग प्रमाण पत्र जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा शासन को भेजा जा चुका है किन्तु विकास खण्डों से अभी तक प्राप्त नही हुए है 2016-17 जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 से सम्बन्धित धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र न तो शासन को ही भेजे गए हे एवं न ही क्षेत्र पंचायतों से प्राप्त हुए है।

(ii) राज्य वित्त आयोग की निधि से संबन्धित वित्तीय वर्ष 2015-16 के उपभोग प्रमाण पत्र अभी तक ग्राम पंचायतो/विकास खण्ड़ों से प्राप्त नहीं हुये है जबकि वर्ष 2016-17 की प्रथम किश्त से धनराशि का संक्रमण माह सितम्बर में किया गया है।

(iii) 14वें वित्त आयोग की निधि सं संबन्धित वित्तीय वर्ष 2015-16 की द्वित्तीय किश्त एवं 2017-17 की प्रथम किश्त से सम्बन्धित उपभोग प्रमाण पत्र/कार्य योजना अभी तक न तो शासन को ही भेजे गये है एवं न ही क्षेत्र पंचायतो से ही प्राप्त हुये है।

लेखापरीक्षा में इस संबंध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुये बताया कि इस संबंध में संबन्धित पंचायतों/ग्राम पंचायतों को उपभोग प्रमाण पत्र कार्य योजना सहित शीघ्र भेजने हेतु पत्र प्रेषित किये गये है। उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही शासन को उपलब्ध करा दिये जायेंगे

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निर्धारित समयावधि में शासन को उपभोग प्रमाण प6 उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी जिला पंचायतराज अधिकारी की होती है इसलिये विकास खण्ड़ों एवं ग्राम पंचायतों से उपभोग प्रमाण पत्र एवं कार्य योजना प्राप्त करने की जिम्मेदारी जिला पंचायतराज अधिकारी की ही बनती है।

अतः ` 29.10 करोड़ के उपभोग प्रमाण पत्र विकास खण्डों एवं ग्राम पंचायतों से प्राप्त न करने से सम्बन्धित प्रकरण को संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 2:- ब्याज प्राप्ति की धनराशि ` 45.62 लाख का राजकोष (0049) में जमा न किया जाना।

प्रमुख सचिव वित्त उत्तराखण्ड़ शासन के आदेश क्र.-347/वि.आ.निदे. (तृ.रा.वि.आ.)/2013 दिंनाक 17 जनवरी 2013 के अनुसार समस्त पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धनराशि (जैसे राज्य वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त आयोग एवं क्षेत्र पंचायत विकास निधि आदि) जो कि व्यय न हो पाने के कारण बैकों में जमा रहती है जिस पर बैंक से ब्याज अर्जित होता है, अर्जित ब्याज कि धनराशि को शीघ्र ही राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए।

इकाई के लेख-अभिलेखों एवं बैंक खातों की जाँच में पाया गया कि इकी को लेखापरीक्षित अवधि (09/2015) से 09/2016) में निम्न प्रकार ब्याज की धनराशि प्राप्त हुयी थीः-

(धनराशि ` में)

क्र.	**माध्यम**	**प्राप्त ब्याज की राशि**
1.	विभिन्न बैंक खातों से प्राप्त	18,62,893/-
2.	खण्ड़ विकास अधिकारी लमगड़ा से प्राप्त ब्याज की धनराशि	2,34,390/-
3.	ख.वि.अ. धौलादेवी से प्राप्त ब्याज	2,31,000/-
4.	ख.वि.अ. धौलादेवी से प्राप्त ब्याज	1,28,158/-
5.	पूर्व वर्ती वर्षों का शेष ब्याज	43,95,000/-
	कुल योग	**68,51,441/-**

उपरोक्त धनराशि में से मात्र ` 22,89,373/- को ही चालान द्वारा राजकोष में जमा कराया गया था।

इस संबंध में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई का कहना था कि ` 43.95 लाख की ब्याज की धनराशि वर्ष 1988-89 से वर्ष 2001-02 तक की ब्याज प्राप्ति है जिसे उच्च अधिकारियों से परामर्श के बाद जमा करने की कार्यवाही शीघ्र कर ली जायेगी, शेष (` 68,51,441-22,89,373-43,95,000) 1,67,068 को शीघ्र ही राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ` 43.95 लाख वर्ष 1988-89 से इकाई के खातों में शेष होने के उपरान्त भी राजकोष में जमा नहीं कराये गये थे जो कि शासनादेशों के विपरीत था।

अतः ` 45.62 लाख ब्याज की धनराशि को राजको, में जमा न किये जाने संबंधी प्रकरण को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 3:- इकाई द्वारा वाहन संचालक के भुगतान से श्रोत पर ` 416/- के आयकर की कटौती करके आयकर के लेखा शीर्ष में जमा न किया जाना।

आयकर अधिनियम, 1961 के सेक्शन 194ग के अनुसार यदि किसी कार्य[1] हेतु अनुबंधकर्ता को विभाग द्वारा कोई भुगतान नगद, चेक अथवा ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाता है तो उस पर 1% की दर से स्रोत पर आयकर की कटौती की जानी चाहिये।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कार्यालय जिला पंचायतराज अधिकारी, अल्मोड़ा ने कार्यालय हेतु तीन माह तक के लिये के.के.टूर एण्ड़ ट्रेवल्स गणेस भवन, चौसार, अल्मोड़ा से निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के साथ अनुबन्ध किया था किः-

(अ) आयकर नियमों के अनुसार संबन्धत विभाग द्वारा भुगतान के समय आयकर की कटौती (टी.ड़ी.एस.) की जायेगी- **शर्त संख्या 22(दो)।**

इकाई द्वारा के.के.टूर एण्ड़ ट्रैवल्स को निम्नानुसार वाहन किराये का भुगतान किया गयाः-

बिल संख्या	**धनराशि**	**चेक सं.**	**दिंनाक**
229	20,800/-	14257	23.08.2016
236	20,800/-	14260	26.09.2016
कुल	**41,600/-**		

इकाई द्वारा वाहन संचालक को भुगतान करते समय उपरोक्त भुगतान से 1% की दर से ` 416/- के आयकर की कटौती करके आयकर के लेखा शीर्ष में जमा नहीं करायी गई।

इसे इंगित किये जाने पर, जिला पंचायतराज अधिकारी, अल्मोंड़ा द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुये यह बताया गया कि आयकर ` 416 की वसूली माह अक्टूबर 16 के बिल के भुगतान से काटकर चालान के माध्यम से जमा करने के पश्चात चालान की प्रति महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर दी जायेगी।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा भुगतान करते समय ही श्रोत पर आयकर की कटौती करके उसे आयकर के लेखा शीर्ष में जमा कराना चाहिये था।

अतः आयकर की वसूली से संबन्धित प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

---

[1] **आयकर अधिनियम, 1961 के सेक्शन 194C (7) (iv) (c) के अनुसार कार्य में वे कार्य भी सम्मिलित होते है जिसमें रेलवें के अलावा किसी अन्य माध्यम से सवारी परिवहन किया गया है।**

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 4:- कार्य पूर्ण होने के उपरान्त भी धनराशि ` 2.00 लाख (लगभग) की देयता शेष रहना।

इकाई के राजीव गांधी प.रा.अ. से संबंधित पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि उक्त योजना के अन्तर्गत निदेशक पंचायतीराज उत्तराखण्ड़ शासन द्वारा जनपद के दो विकास खण्ड़ो लमगड़ा एवं द्वाराहाट की ग्राम पंचायतों क्रमशः डायर व मजेठी हेतु ` 12-12 लाख[2] पंचायत भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृत किये गये थे, तथा प्रथम किश्त ` 6.00[2] लाख प्रत्येक के समायोजन के पश्चात दोनों भवनो हेतु द्वित्तीय किश्त ` 6.00 लाख अवमुक्त किये थे, जिसमें से जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा प्रत्येक हेतु ` 5.00 लाख[3] इस आश्य से अवमुक्त किये थे कि पंचायत भवनों का निर्माण कार्य 30 जून 2016 तक पूर्ण कर तकनीकी अधिकारी से मापन कराकर मापन की प्रति एवं पंयात भवनों की दो-दो फोटो उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें ताकिं मापन के अनुसार अंतिम भुगतान सुनिश्चित करें ताकि मापन के अनुसार अंतिम भुगतान किया जा सकें।

आगे देखा गया कि पत्रावली में पूर्ण पंचायत भवनों की फोटो तो संलग्न है किन्तु किसी भी पत्रावली में कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र एवं अवशेष धनराशि ` 1.00 लाख (प्रत्येक) के भुगतान से संबंधित कोई भी अभिलेख पत्रावली में उपलब्ध नहीं थे।

लेखापरीक्षा में इस संबंध में इकाई का ध्यान आकर्षित करने पर इकाई द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुये कहा गया कि कार्यपूर्ण हो चुके है किन्तु सहायक अभियन्ता द्वारा M.B न हो पाने के कारण उक्त धनराशि का भुगतान शेष है।

अतः ` 2.00 लाख की देयता शेष रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

---

[2] पत्रांक 1661 दिंनाक 21.01.2015 एवं पत्रांक 1853 दिंनाक 02.03.2015 द्वारा।

2. पत्रांक 1915 दिंनाक 24.02.2016 द्वारा।

3. पत्रांक क्रमशः 1477 एवं 1478 दिंनाक 08 मार्च 2016 द्वारा।

<u>भाग-4, अनुभाग (स)</u>

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **जिला पंचायतराज अधिकारी, पिथौरागढ़** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरि. उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी.-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्था0नि0